

प्रमाण,

आयुक्त,
आगम मण्डल,
आगरा।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रोति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक/ दि०स०/एन०ओ०सी०/ /2009-2010 दिनांक 02-12-2009

विषय:- कपिल मुनि विद्युत्स एकडेमी, जी०पी० रोड, बेवर (गिनापुरी) का सी०वी०ए०ई०
ए०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्याज्ञा संख्या/1916 (1)/15-7-09-1/(299)/2007
दिनांक 14 जुलाई, 2009 के अनुपालन में मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक
12-11-2009 में लिये गये निर्णयानुसार उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी०वी०ए०ई०
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार
से सम्बन्धित प्रक्रियाओं को अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सॉफ्टवेयर का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रमुख समिति में संबंधित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/वैशिक शिक्षा परिषद द्वारा संबन्धित विद्यालयों में विभिन्न नस्लों के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/कौशिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इवजाभिंशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्ताव मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (5) संस्था के शिक्षक एवं शिक्षाक्षेत्र कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण सस्थानों के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ता स कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायीं जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य तथा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे

- (8) विद्यालय का डिजाईट निर्धारित प्रपत्र पंजीकृतों में रखा जायेगा।
 (9) विद्यालय में अग्निशमन यंत्र स्थापित कर अग्निशमन अधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।
 (10) नेशनल विडिडिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाये।
 (11) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की गूठ या शिथिलता देखी जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापूर्ता प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

महोदय,
 (सहा एसओ गौडिनि)
 आयुक्ता
 आगरा मण्डल, आगरा

कार्यालय मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या/आ.स.ओ.गौ. / 7471-77 / 2009-2010 संदर्भित
 तैलिक निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये-

- 1- सचिव, (नाओशिओ), उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा-7 अनुभाग लखनऊ।
- 2- शिक्षा निदेशक (नाओ) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 4- जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्बन्धित जनपद।
- 5- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- प्रबन्धक, सम्बन्धित विद्यालय।
- 7- मंडल फाइल।

(संजय यादव)
 मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक
 आगरा
 नं० 12